राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

क्रमांकः प15(7)कार्मिक/क–5/2017 जयपुर, दिनांक : 30.11.2017

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
2. प्र. शा. सचिव/शा. सचिव/वि. शा. सचिव
3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

विषय :– षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप **टेनिस** प्रतियोगिता एवं द्वितिय राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप **बेडमिंटन** प्रतियोगिता 2017–18 को आगामी नवीन तिथी तक के लिए स्थगित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2017 एवं 17.11.2017 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि इस विभाग के सदर्भित पत्र दिनांक 15.03.2017 एंव 17.11.2017 के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर के माध्यम से जयपुर जिले में दिनांक 1.12.2017 से 3.12.2017 तक आयोजित की जाने वाली षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप **टेनिस** प्रतियोगिता एवं द्वितिय राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी. एस. चैलेन्जर कप **बेडमिंटन** प्रतियोगिता 2017–18 को अपरिहार्य कारणों से आगामी नवीन तिथी के निर्धारण होने तक के लिए स्थगित किया जाता है।

भवदीय,

(बृज सुन्दर शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप **टेनिस** प्रतियोगिता एवं द्वितिय राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप **बेडमिंटन** प्रतियोगिता 2017–18 का आयोजन आगामी तिथी के निर्धारण होने तक स्थगित किये जाने का श्रम करावें तथा प्राप्त टीम एन्ट्री के सदस्यों को भी सूचित करने का श्रम करावें।
3. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट www.dop.rajasthan.gov.in पर News में अपलोड कराने का श्रम करावें।

(कैलाश चन्द्र)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

क्रमांकः प15(7)कार्मिक/क–5/2017 जयपुर, दिनांक : 17-11-2017

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
2. समस्त प्र. शा. सचिव/शा. सचिव/वि. शा. सचिव
3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

विषय :– राजस्थान राज्य ~~सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस~~ बेडमिंटन प्रतियोगिता 2017–18 के आयोजन के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2017 के कम में निर्देशानुसार निवेदन है कि अपरिहार्य कारणों से जयपुर जिले में आयोजित की जाने वाली षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस प्रतियोगिता एवं द्वितिय राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बेडमिंटन प्रतियोगिता 2017–18 दिनांक 25.11.2017 से 27.11.2017 के स्थान पर दिनांक 1.12.2017 से 3.12.2017 आयोजित कराई जा रही है।

भवदीय,

(बृज सुन्दर शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस प्रतियोगिता एवं द्वितिय राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बेडमिंटन प्रतियोगिता 2017–18 का आयोजन दिनांक 25.11.2017 से 27.11.2017 के स्थान पर दिनांक 1.12.2017 से 3.12.2017 तक कराये जाने का श्रम करावें।
2. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट www.dop.rajasthan.gov.in पर News में अपलोड कराने का श्रम करावें।

(कैलाश चन्द्र)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5) विभाग

क्रमांकः प15(7)कार्मिक/क–5/2017 जयपुर, दिनांक : 15.03.2017

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
2. समस्त प्र. शा. सचिव/शा. सचिव/वि. शा. सचिव
3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

विषय :– षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस प्रतियोगिता एवं द्वितिय राज्यस्तरीय सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप बेडमिंटन प्रतियोगिता 2017–18 के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप **टेनिस** प्रतियोगिता एवं द्वितिय राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप **बेडमिंटन** प्रतियोगिता 2017–18 का जयपुर जिले में **दिनांक 25.11.2017 से 27.11.2017 तक** आयोजन कराया जाना विचाराधीन है।

कृपया प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की सूचना **दिनांक 10.10.2017** तक प्रतियोगिता के **आयोजनकर्ता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर** को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिभाशाली अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतियोगिता में व्यापक भागीदारी हो सके, इस हेतु कृपया समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का भी श्रम करावें।

संलग्न : दिशा–निर्देश

भवदीय,

(रमेश चंद्र दीक्षित)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त प्रतियोगितायें आयोजित कराने के लिए संबंधित बजट की स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी तथा प्रतियोगिता के आयोजन एवं आवश्यक व्यवस्था की तैयारी कराने का श्रम करावें।
2. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न दिशा–निर्देशों को विभागीय वेबसाईट www.dop.rajasthan.gov.in पर News में अपलोड कराने का श्रम करावें।
3. अवधाता, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को सचिवालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का श्रम करावें।

(कैलाश चन्द्र)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप टेनिस एवं बेडमिंटन प्रतियोगिता हेतु दिशा–निर्देश

1. **प्रतियोगिता का नाम, अवधि तथा स्थान** :– इस प्रतियोगिता का नाम षष्ठम राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप **टेनिस** प्रतियोगिता एवं द्वितिय राजस्थान राज्य सिविल सेवा सी.एस. चैलेन्जर कप **बेडमिंटन** प्रतियोगिता 2017–18 होगा। यह प्रतियोगिता दिनांक 25.11.2016 से 27.11.2016 तक जिला जयपुर में आयोजित की जायेगी।

2. **प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के नाम एवं एन्ट्री भेजने का माध्यम** :–

क्र. स.	टीम का नाम	एन्ट्री भेजने का माध्यम
1.	राजस्थान मंत्री परिषद	प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल, शासन सचिवालय, जयपुर
2.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)	संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3.	भारतीय पुलिस सेवा (IPS)	शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4.	भारतीय वन सेवा (IFS),	शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS)	संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6.	राजस्थान पुलिस सेवा (RPS)	शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7.	राजस्थान लेखा सेवा (RAcS)	निदेशक, लेखा, वित्त भवन, जयपुर
8.	राजस्थान वन सेवा (RFS)	शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
9.	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (RCRD)	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वाणिज्यिक भवन, जयपुर
10.	राजस्थान परिवहन सेवा (RTS)	आयुक्त, परिवहन विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर
11.	राजस्थान सचिवालय सेवा (RSS), राजस्थान	संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
12.	राजस्थान चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा	विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
13.	राजस्थान आयोजना सेवा	विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
14.	राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर
15.	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (सा.नि.वि., सिंचाई, जन स्वा.अभि. वि.)	संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
16.	राज्य बीमा सेवा	निदेशक, राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधियी निधि विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
17.	राजस्थान कृषि सेवा	आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर

3. **खेलवार खिलाड़ियों की संख्या** :–

क्र.स.	प्रतियोगिता का नाम	खिलाड़ियों की संख्या	खिलाड़ियों की कुल संख्या
1.	6th Rajasthan State Civil Services CS Challenger Cup Tennis Tournament	11 सदस्यीय टीम (7 Man (5+2 Veterans) & 4 Women)	11 x 17 = 187
2.	2nd Rajasthan State Civil Services CS Challenger Cup Badminton Tournament	11 सदस्यीय टीम (7 Man (5+2 Veterans) & 4 Women)	11 x 17 = 187

4. **किट (खेल पोशाक)** :–
   - सभी टीमों को निर्धारित किट (खेल पोशाक) में ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जावेगा।
   - खेल पोशाक पर खेल नियमानुसार चेस्ट नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
   - सभी टीमों के प्रतिभागियों को निर्धारित किट (फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी–शर्ट) एवं फ्लेग आयोजनकर्ता (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर) के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. **प्रतियोगिता (इवेन्ट) का निरस्तीकरण** :–
   - टेनिस एवं बेडमिंटन में पर्याप्त एवं स्तरीय प्रविष्टि नहीं होने पर संबंधित खेल के इवेन्ट को निरस्त करने का अंतिम निर्णय आयोजन समिति के अध्यक्ष का होगा।
   - महिलाओं की श्रेणी में कम से कम 4 एन्ट्री प्राप्त होने पर ही प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।

6. **प्रतियोगिता का प्रचार–प्रसार** :– संबंधित संबंधित विभागों द्वारा प्रचार–प्रसार किये जाने के लिए की गई कार्यवाही का पत्र/आदेश की प्रति शासन उप सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जावेगी तथा SMS/e-mail/whatsapp के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

7. **टीम चयन की प्रकिया** :–
   - **टीम के चयन हेतु** :– संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के चयन ट्रायल के लिए खिलाडी अधिकारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :–

क्र.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id

   - **आवेदन पत्रों का संकलन** :– संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के चयन ट्रायल के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना खेलवार संकलित कर शासन उप सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उक्त प्रारूप में भिजवाई जावेगी।

- **चयनित टीम की सूचना :–** संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग की टीम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार उपस्थित खिलाड़ियों में से टीम का चयन कर सूचना निम्न प्रारूपानुसार प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता को भिजवाते हुये प्रतिलिपी शासन उप सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भी भिजवाई जावेगी :–
  - प्रतियोगिता का नाम
  - टीम का नाम
  - खेल का नाम
  - चयन ट्रायल की दिनांक
  - चयन ट्रायल का स्थान
  - चयन किये जाने वाले खिलाडियों की संख्या
  - चयनित खिलाड़ियों का विवरण निम्न प्रारूपानुसार

क.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	e-mail id

  - हस्ताक्षर चयनकर्ता (नाम मय पदनाम)
- **रिजल्ट शीट :–** टेनिस एवं बेडमिंटन खेल में चयन हेतु तैयार की गई रिजल्ट शीट भी भेजी जावें।

8. **प्रतियोगिता का प्रारूप :–**
- प्रतियोगिता में किसी भी टीम के निर्धारित समय से 15 मिनिट पश्चात् तक भी प्रतियोगिता स्थल पर रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में उपस्थित विपक्षी टीम को वॉकओवर देकर विजेता घोषित कर दिया जावेगा।
- यदि किसी प्रतियोगी को रैफरी के निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो वह मैच समाप्त होने के आधा घण्टे के भीतर रू. 500/– जमा कराकर प्रोटेस्ट कर सकता है।
- प्रोटेस्ट पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- सभी खिलाड़ियों को खेल के दौरान अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा खेल सद्भावना एवं खेल भावना के साथ खेलना होगा।
- खेल के दौरान अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी को प्रतियोगिता से रैफरी के द्वारा बाहर किया जा सकता है।
- अनुशासनहीनता की अपील बाद में आयोजन समिति को आधे घण्टे में करनी होगी, जिस पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- अधिकारी एक खेल में ही भाग ले सकेगें। दो खेलों में भाग लेने पर संबंधित टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

9. **खेल के नियम :–**
- प्रतियोगिताऐं वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर के नियमों के आधार पर आयोजित की जावेगी।
- प्रतियोगिता के दौरान रैफरी का निर्णय अन्तिम होगा।
- सभी खेल लीग कम नॉक आउट आधार पर खेले जायेंगें।
- प्रतियोगिता टीम स्पर्धा के रूप में आयोजित की जावेगी।
- टेनिस एवं बेडमिंटन के मैच बेस्ट ऑफ थ्री के फॉरमेट में आयोजित किये जायेगें। प्रथम मैच पुरूष डबल, द्वितीय मैच वेटर्न (45 वर्ष से उपर) डबल, तृतीय मैच पुरूष सिंगल का होगा।
- केवल एक खिलाड़ी अधिकतम दो मैचों में भाग ले सकेगा।

10. **राज्य सरकार द्वारा देय सुविधा :–**
- प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्मिकों को ऑन ड्यूटी माना जायेगा एवं नियमानुसार टीए/डीए देय होगा।

11. **प्रतियोगिता में तकनीकी सहयोग :–**
- रैफरी को रू. 300/–प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जावेगा।
- प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए क्वालीफाईड रैफरी संबंधित स्थानीय खेल संघ/शिक्षा विभाग से लिये जायेगें।
- आयोजनकर्ता के सहयोग हेतु कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से खेल अधिकारी ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित रहेंगें।

12. **आयोजनकर्ता के कार्य :–**
- उदघाटन एवं समापन समारोह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता अवधि एवं समारोह के लिए टेंट/माईक आदि की व्यवस्था।
- प्रमाण–पत्र, पुरस्कार (रनर एवं विनर) एवं स्मृति चिन्ह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता के संचालन, मैदान एवं खेल उपकरण की व्यवस्था।
- टीमों की आवास व्यवस्था आदि।
- अन्य आवश्यक व्यवस्था एवं कार्य।
- प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद होने पर अंतिम निर्णय आयोजनकर्ता का होगा।
- प्रतियोगिता आयोजनकर्ता प्रतियोगिता की प्रगति रिपोर्ट मान. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

(रमेश चंद्र दीक्षित)
शासन उप सचिव